(ग) और (घ) मासिक रिपोर्ट के संकलन की कोई प्रणाली नहीं है । तथापि, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति के द्वारा वायु/जल गुणवत्ता आंकडें एकत्र किये जाते हैं । केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन आकंडों का संकलन रिपोर्टो के रूप में करता है और इसे वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रदर्शित किया गया है । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /प्रदूषण नियंत्रण समितियां भी अपनी वार्षिक रिपोर्टो में प्रदूषण के स्तरों की सूचना देते हैं ।

वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को अपनाने में छूट और उदारता

2605. **श्री मनोहर कांत ध्यानी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों में छूट और उदारता बरतने के संबंधं में दिए गए निर्देश के कारण उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लोगों ने कुछ राहत महसूस की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस निर्देश के परिप्रेक्ष्य में अपने पूर्व निर्देशों में संशोधन करने का विचार रखती है; और

(ग) क्या इस परिप्रेक्ष्य में बंजर भूमि को सुरक्षित वन भूमि के रूप में घोषित करने के लिए राज्य सरकारों के आदेश को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंराडी) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दायर इन्टरलोक्यूलर एप्लीकेशन (सं0 278/1998) को ध्यान में रखते हुए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 13.01.1998 को अपने पिछले आदेशों में संशोधन किया है जिसके अनुसार समुद्रतल से 1000 मी0 अथवा उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उतराखंड के स्थानीय निवासियों को मूल निवासी के प्रयोग हेतु विनिर्धारित वन उत्पादों के संबंध में अधिकार और रियायतें प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि वे विस्तृत रूप से निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हों ।

(ख) केन्द्रीय सरकार इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करेगी ।

(ग) राज्य सरकार से इस सबंधं में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

Demand of Reserved Forest Land for Use By the Sabarimala Ayyappa Pilgrims

2606. SHRI O. RAJAGOPAL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the Travancore Dewaswam Board or the Government of Kerala have demanded that a few acres of reserved forest land in Idukki District in Kerala be allowed to be used for the benefit of large crowd of pilgrims of Sabarimala Ayyappa during the season; and

(b) if so, what is Government's stand on this demand?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) and (b) The State Government of Kerala had earlier submitted a proposal for diversion of 115.60 hectare of forest land under the Forest (Conservation) Act, 1980 for providing amenities to pilgrims of Sabarimala temple. While this proposal was under process, the State Government in December, 1995 sent another proposal involving 20 hectare of forest land for the same purpose. This proposal was examined and after discussion with Nodal Officer, State Forest Department in May, 1996, certain clarifications were asked, which have not been submitted by State Government. Subsequently, the State Government in August, 1997 has furnished three separate proposals for providing amenities to the pilgrims of Sabarimala temple namely; quarrying of rubble, collection of sand and construction of sewage treatment plant for approval under the Forest (Conservation) Act, 1980. Out of the above three proposals, diversion of 0.403 ha. of forest land for collection of sand has already been approved by the Minsitry on 23.10.97. In the case of other two proposals certain details have been asked from the State Government. In the absence of complete details, the final decision on the proposal could not be taken.